संलग्नक-9

उ० प्र० नगर पालिका सेवक अपील नियमावली, 1967[1]

[U.P. Municipal Servants Appeal Rules, 1967]

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना (Short title, Commencement and application)—

(1) यह नियमावली उ० प्र० नगर पालिका सेवक अपील नियमावली, 1967 कही जा सकेगी।

(2) यह शासकीय गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत होगी।

(3) यह उ०प्र० में नगर पालिका के सभी सेवकों पर, नगर पालिका के शिक्षण संस्थानों में नियुक्त सेवकों के सिवाय, लागू होगा।

2. परिभाषाएँ (Definitions)—इस नियमावली में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो—

(i) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ०प्र० अधि० सं० 2, 1916) अभिप्रेत है,

(ii) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसके समक्ष अधिनियम अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत किसी दण्डात्मक आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल हो रही हो,

(iii) ''सक्षम प्राधिकारी'' से, किसी आदेश अथवा कार्यवाही के सन्दर्भ में, नगर पालिका का कोई प्राधिकारी, यथास्थिति, अभिप्रेत है, जो विधि की दृष्टि में ऐसा आदेश पारित करने हेतु अथवा ऐसी कार्यवाही करने हेतु सक्षम हो,

(iv) ''दण्डात्मक आदेश'' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अथवा प्रस्ताव अभिप्रेत है, जो किसी सेवक की पदच्युति, उसे पद से हटाने अथवा पदावनत करने से अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका सेवक (जाँच, दण्ड एवं सेवामुक्ति) नियमावली,[2] के नियम 4 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य शास्ति अधिरोपित करने से सम्बन्धित हो,

(v) किसी विभाग के सम्बन्ध में ''मुख्य अधिकारी'' से ऐसे विभाग का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है,

(vi) ''दण्ड प्राधिकारी'' किसी दण्डादेश के सन्दर्भ में, दण्ड का आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(vii) ''धारा'' और ''उप-धारा'' से अधिनियम की धारा और उपधारा विनिर्दिष्ट है।

3. अपील (Appeals)—अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, दण्डादेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित के समक्ष दाखिल होगी—

(i) धारा 76 के अन्तर्गत अध्यक्ष से भिन्न दण्ड प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की दशा में अध्यक्ष के समक्ष,

---

1. अधिसूचना संख्या 10411/XI-A-633(1)-65, दिनांक 23 जून, 1967, उ०प्र० असा० गजट भाग 1-क, दिनांक 1 जुलाई, 1967 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या 1619-F/X-A-14-53, दिनांक 8 अप्रैल, 1960 में प्रकाशित।

(ii) धारा 74 के अन्तर्गत दण्ड प्राधिकारी द्वारा अथवा धारा 76 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश की दशा में,मण्डलायुक्त के समक्ष।

4. अपील दाखिल करने की रीति—(1) अपील दाखिल करने वाला हर व्यक्ति उसे पृथक रूप से और अपने नाम में दाखिल करेगा। अपील उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उस पर उसका डाक का पूर्ण पता उल्लिखित होगा।

(2) कोई भी अपील ग्राह्य नहीं होगी, जब तक कि वह दण्डादेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, को अपीलार्थी को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो,

परन्तु 30 नवम्बर, 1964 को अथवा उसके पश्चात् किन्तु इस नियमावली के प्रकाशित होने के पूर्व किसी सेवक के विरुद्ध पारित दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील, इस नियमावली के प्रकाशन से साठ दिन के पूर्व दाखिल की जा सकेगी।

(3) हर अपील अपील प्राधिकारी को सम्बोधित होगी और उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा, जिनके आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की जा रही हो।

(4) प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की जा रही है, उसे पैराक्रमानुसार अपनी टिप्पणी, सभी सम्बन्धित अभिलेखों और सुसंगत कागजातों, जिसमें अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका तथा व्यक्तिगत फाइल भी सम्मिलित होगी, के साथ सम्यक् रूप से सभी प्रकार से पूर्ण रूप में, अपील प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। यदि किसी अन्य कारणों से उक्त अवधि सीमा के भीतर अपील प्रेषित न की जा सके, तो अवधि के समाप्त होने से पूर्व वह उन कारणों से अपील प्राधिकारी को अवगत करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे दिनांक तक जो अपील प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाये, अपील को अग्रसारित करेगा।

(5) हर अपील में अपीलार्थी द्वारा विश्वास किया गया सभी तात्विक विवरण और तर्क अन्तर्विष्ट होगा। इसमें कोई भी अमर्यादित अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा और वह हर प्रकार से पूर्ण होगी।

(6) अपीलार्थी, यदि वह अपेक्षित समझे, अपील की एक अग्रिम प्रतिलिपि सीधे अपील प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेगा।

(7) यदि उप-नियम (4) में विहित अवधि के भीतर कोई अपील अपील प्राधिकारी को अग्रसारित न की जाये, तो अपील प्राधिकारी उसे मँगा सकेगा तथा दिनांक नियत कर सकेगा, जब तक दण्ड प्राधिकारी अपील को उक्त उपनियम में उपबन्धित रीति में अग्रसारित करेगा।

5. अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विचार (Consideration of an Appeal by Appellate Authority)—अपील प्राधिकारी किसी अन्य सुसंगत तत्वों के अथवा निम्नलिखित के बारे में विचार करेगा—

(i) क्या वह तथ्य जिस पर दण्डादेश आधारित है, स्थापित हो चुका है,

(ii) क्या स्थापित तथ्य कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करता है, तथा

(iii) क्या अधिरोपित शास्ति अधिक है अथवा पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है।

6. अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर आदेश (Orders on an Appeal by the Appellate Authority)—नियम 5 में यथाउपबन्धित रीति से अपील पर विचार करने के पश्चात् अपील प्राधिकारी धारा 77क में वर्णित कोई आदेश पारित कर सकेगा।

7. कोई प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध इस नियमावली के अन्तर्गत कोई अपील दाखिल की जाती है, उक्त अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को समुचित रूप से लागू करेगा।

8. (1) अन्तिम आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि बीतने से पूर्व सरकार किसी भी समय धारा 3 की उपधारा (ii) में विहित अपील प्राधिकारी के द्वारा निर्णीत किसी अपील का

अभिलेख मंगा सकेगी तथा यदि उसके विचार में विधि के गलत निर्वचन के कारण अथवा अन्यथा न्याय का गम्भीर रूप से हनन किया गया है, तो वह अपील प्राधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार कर सकेगी।

(2) मंडलायुक्त पूर्ववर्ती उपनियम (1) में वर्णित तत्समान शक्ति का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) में अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी अपील के मामले में कर सकेगा।

9. किसी सेवक, जो सेवा से पदच्युत अथवा हटा दिया जाये, द्वारा रिक्त किया गया पद तब तक मौलिक रूप से नहीं भरा जायेगा, जब तक कि नियम 9 के उपनियम (2) में अपील के लिए अवधि समाप्त न हो जाये अथवा अपील, यदि कोई दाखिल की गयी हो, में ऐसा कोई आदेश अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया जाये। यदि पद पर कोई नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गयी हो, तो उक्त अवधि के दौरान, अपील में पारित आदेश के प्रकाश में पुनरीक्षित किया जायेगा, बशर्ते कि पहले ही सेवा समाप्त न की जा चुकी हो।